मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. डी–5/53/11/14–3 भोपाल, दिनांक......3-1-2012

प्रति,

1. संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.

2. संयुक्त संचालक (समस्त)

3. उप संचालक (समस्त)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

विषयः– **लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवा क्रमांक 13.1 रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करने के संबंध में।**

संदर्भः– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308–05–01–2010 दिनांक 24.9.2011

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.09.211 के तहत कृषि विभाग की उक्त विषयक गतिविधियां सम्मिलित हैं:–

(अ) रासायनिक उर्वरक के विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना :–

1. सेवा का उद्देश्य :–

रासायनिक उर्वरकों के थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित समयावधि में रासायनिक उर्वरकों के विकय हेतु प्राधिकार पत्र प्रदाय करना है।

2. पात्रता –

1. कोई भी इच्छुक नागरिक इस हेतु आवेदन कर सकता है।

3. शुल्क –

1. आवेदन के साथ निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा–

थोक व्यापार	–	रू. 2250/–
खुदरा व्यापार	–	रू. 1250/–

2. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.–7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा।

4. आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित प्रपत्र ए–1 में दो प्रतियों में आवेदन पत्र।

2. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति।
3. उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण पत्र प्रपत्र ओ (O) की मूल प्रति।
4. भण्डार एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।

5. सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया –

1. उर्वरक विक्रय करने के लिए इच्छुक थोक/खुदरा व्यापारी उर्वरक व्यापार हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–8 (2) के प्रावधान अनुसार संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र ए–1 में दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक कृषि)/प्राधिकृत कर्मचारी को दिया जावेगा।
3. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं दी जावेगी।
4. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
6. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को उर्वरक विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र निर्धारित प्रारूप ए–2 में 30 कार्य दिवस में जारी किया जावेगा।
7. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।
8. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।
9. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

(ब) कीटनाशक के विक्रय हेतु पंजीयन जारी करना है :–

1. सेवा का उद्देश्यः–

सेवा का उद्देश्य कीटनाशक के विक्रय/भण्डारण/वितरण की व्यवस्था हेतु पंजीयन जारी करना करना है।

2. पात्रता –

कीटनाशक विक्रय/भण्डारण/वितरण करने के लिए कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है।

3. शुल्क –

1. नियमानुसार देय होगा। परन्तु वर्तमान में 20 रूपये प्रति कीटनाशक अधिकतम रूपये 300 देय होगा। यह शुल्क माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के समक्ष विचाराधीन याचिका के अध्यधीन होगा।
2. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.–7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियॉं में जमा किया जायेगा।

4. आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति।
2. कीटनाशक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रिंसीपल सर्टिफिकेट प्रपत्र (VI D) की मूल प्रति।
3. भण्डारण एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।

5. सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया –

1. कीटनाशक के विक्रय, भण्डारण या वितरण के इच्छुक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप vi में आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उप संचालक कृषि को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक, कृषि) द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण कीटनाशी निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को कीटनाशक विक्रय/भण्डारण/वितरण हेतु अनुज्ञप्ति, प्रपत्र–viii में 30 कार्य दिवस में जारी की जायेगी। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।
6. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।
7. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

(स) बीज के विक्रय हेतु पंजीयन जारी करना है :–

1. सेवा का उद्देश्यः–

सेवा का उद्देश्य बीज विक्रय की व्यवस्था का नियमन करना है।

2. पात्रता –

बीज विक्रय करने के लिए कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है।

3. शुल्क –

1. 50 रूपये शुल्क।
2. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी. –7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियों में जमा किया जायेगा।

4. आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति।
2. बीज उत्पादक कम्पनी/समिति द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति।
3. बीज विक्रय एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।

5. सेवा प्राप्ति के लिये प्रक्रिया –

1. बीज के विक्रय के इच्छुक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के क्लाज़ 4 के अंतर्गत संलग्न प्रारूप A में आवेदन पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक कृषि)/प्राधिकृत कर्मचारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक कृषि) द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण बीज निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञप्ति प्रपत्र B (क्लाज 5) में 30 कार्य दिवस में जारी की जावेगी।

6. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।

7. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।

8. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	–	____________________ ____________________ ____________________
1. आवेदक का नाम एवं पता	–	____________________ ____________________ ____________________
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	–	____________________
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	–	____________________
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	–	____________________ ____________________ ____________________
4. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	–	____________________

स्थान..............

दिनांक..........................

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

परिशिष्ट–2

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. डी–5/53/11/14–3 भोपाल, दिनांक......3-1-2012

प्रति,

1. संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.

2. संयुक्त संचालक (समस्त)

3. उप संचालक (समस्त)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

विषय :– सेवा क्रमांक 13.2– रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308–05–01–2010 दिनांक 24.9.2011

(अ) रासायनिक उर्वरक :–

सेवा का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं के द्वारा रासायनिक उर्वरक पावती, कीटनाश एवं बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण करना है।

पात्रता –

जिस भी व्यक्ति ने पूर्व में प्रारूप A-2 में उर्वरक विक्रय पावती प्राप्त की है वही व्यक्ति नवीनीकरण के आवेदन कर सकता है।

शुल्क –

1. नवीनीकरण हेतु आवेदन यदि समय सीमा अंदर है तो आवेदन के साथ

फुटकर विक्रेता के लिए	–	रू. 1250
थोक विक्रेता के लिए	–	रू. 2250

2. आवेदन समय सीमा के बाहर किन्तु एक माह के अंदर है तो अतिरिक्त शुल्क फुटकर विक्रेता के लिए 60 रूपये विलम्ब शुल्क एवं थोक विक्रेता के लिए 75 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.–7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान की मूल प्रति।
2. उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण पत्र प्रपत्र ओ (O) की मूल प्रति।
3. भण्डार एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।

सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया –

1. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप ए–1 में आवेदन पत्र कंडिका 4 में उल्लेखित अनुलग्नकों के साथ संबंधित अधिसूचित अधिकारी/उप संचालक कृषि को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक, कृषि) द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र 30 कार्य दिवस में प्रदाय की जावेगी।
6. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।
7. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।
8. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

(ब) कीटनाशक :–

सेवा का उद्देश्य कीटनाशक के विक्रय/भण्डारण/वितरण की व्यवस्था का नियमन करना है।

पात्रता –

कीटनाशक विक्रय/भण्डारण/वितरण करने की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए वही व्यक्ति आवेदन करेगा जिसे पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी की गई हो।

शुल्क –

1. वर्तमान में 20 रूपये प्रति कीटनाशक अधिकतम रूपये 300 देय होगा। किन्तु नियम 11 (B) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अवसान तिथि के उपरांत परन्तु 3 महीने के पूर्व विलम्ब शुल्क के साथ प्रथम माह में 10 रूपये, द्वितीय माह 20 रूपये तथा तृतीय माह 30 रूपये देय होगा।
2. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.–7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियॉं में जमा किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान की मूल प्रति।
2. कीटनाशक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रिंसीपल सर्टिफिकेट प्रपत्र (VI D) की मूल प्रति।
3. भण्डारण एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई में विचाराधीन याचिका के निर्णय अनुसार शुल्क अंतर की राशि जमा करने के लिए निर्धारित संलग्न प्रारूप में वचन पत्र।

सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया –

1. निर्धारित प्रारूप vi में आवेदन पत्र कंडिका 5 में उल्लेखित अनुलग्नकों के साथ संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक, कृषि)/प्राधिकृत कर्मचारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक, कृषि) द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण कीटनाशी निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को कीटनाशक विक्रय/ भण्डारण/वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रपत्र viii में 30 कार्य दिवस में प्रदाय की जावेगी।
6. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।

7. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।

8. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

(स) बीज :–

सेवा का उद्देश्य बीज विक्रय की व्यवस्था का नियमन करना है।

पात्रता –

आवेदक को बीज विक्रय का अनुज्ञप्ति धारक होना आवश्यक है।

शुल्क –

1. 20 रूपये शुल्क किन्तु लायसेंस अवधि अवसान उपरांत एक माह तक 25 रूपये अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा।
2. शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.–7 से भारतीय स्टेट बैंक में मद 0401 कृषि विविध 800 अन्य प्राप्तियॉं में जमा किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज –

1. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति।
2. बीज उत्पादक कम्पनी/समिति द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति।
3. निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदक का शपथ पत्र।
4. बीज विक्रय एवं व्यापार स्थल का विवरण एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति।
5. यदि स्थल किराये का है तो अनुबंध की प्रति।
6. सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में उसका घोषणा पत्र।

सेवा प्राप्ति हेतु प्रक्रिया –

1. बीज के विक्रय के अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति नवीनीकृत कराने के लिए बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के क्लाज़ 7 के अंतर्गत संलग्न प्रारूप C में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (उप संचालक, कृषि)/प्राधिकृत कर्मचारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट–1)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा (परिशिष्ट–2)। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

12

4. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

5. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी (उप संचालक, कृषि) द्वारा भण्डार एवं व्यापार स्थल के नक्शे का निरीक्षण बीज निरीक्षक से कराया जाकर प्रमाणित कराया जावेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार आवेदक को बीज विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्रपत्र B में 30 कार्य दिवस में जारी किया जावेगा।

6. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।

7. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि एवं द्वितीय अपील संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास को की जावेगी।

8. प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 15 कार्य दिवस है।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	–	____________________ ____________________ ____________________
1. आवेदक का नाम एवं पता	–	____________________ ____________________ ____________________
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	–	____________________
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	–	____________________
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	–	____________________ ____________________ ____________________
4. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	–	____________________

स्थान................ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक.......................... नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

परिशिष्ट–2

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)